

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/28

1. किशनलाल पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए उप तहसीलदार, सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा ।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 12.02.2024 उनवानी प्रकरण किशनलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या संख्या 29/2021 व उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 15.02.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम किशनलाल प्रकरण संख्या 20/2021

उपस्थित—

1. श्री पदम सिंह गुर्जर, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –08.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 12.02.2024 एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 15.02.2021 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 15.02.2021 को वाके ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 0.34 है. पर सम्बत 2077 रबी में अतिक्रमण कर काश्त करने पर अपीलान्ट को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर , 561/- रुपये से दण्डित करते हुये फसल नीलामी करने के आदेश पारित कर दिये एवं पश्चातर्वी अतिक्रमण मानते हुये 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.02.2021 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 12.02.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा दिनांक 15.02.2021 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 12.02.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका ही नहीं दिया जबकि कानूनन पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए

था। अपीलान्त ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया न ही काश्त की तथा अधिनस्थ तहसीलदार के यहां जो पटवारी हल्का ने रिपोर्ट दी है। उसमें भी यह अंकित नहीं किया कि अपीलान्त ने किस चीज की काश्त की है। इसके बावजूद भी हरदो न्यायालय ने अपीलान्त को सजा से दंडित करने के अवैध आदेश पारित किये हैं। हरदो न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत न होते हुए भी अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है बिना प्रदर्शित हुये कानून में उक्त दस्तावेज पढे जाने योग्य ही नहीं था तथा उसके आधार पर किया गया निर्णय अवैधानिक व मनमाना होने के कारण निरस्त होने योग्य था परन्तु अधिनस्थ अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर कोई विचार ही नहीं किया और अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा व निर्णय दिनांक 12.02.2024 व उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 15.02.2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम गांवडी में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 59 के रकबा 0.34 है० पर चने की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में अपीलान्त का बेदखलीनामा, फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की जानी वाली कार्यवाही Summary Proceeding है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 15.02.2021 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्त में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का मरियाडा उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय के पेश की गई कि अपीलान्त ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 0.34 है० पर सम्वत 2077 रबी में अतिक्रमण कर काश्त कर ली है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 15.02.2021 पारित कर अपीलान्त को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुये फसल नीलामी करने एवं अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्त द्वारा पूर्व में सम्वत 2076 खरीफ व रबी में भी अतिक्रमण किया गया था जिसको बेदखल किया जाना व्यक्त किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में त्रुटि नहीं होने के कारण कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्त द्वारा उक्त राजकीय चरागाह भूमि पर संवत 2076 के समय भी अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

ऐसे में राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अक्रुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अपीलार्थी राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमि साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेश दिनांक 12.02.2024 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर